COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs.20

(21)

माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर के न्यायालय में

R-61-II/14

परमानंद पिता स्व. मांगीलाल
निवासी– ग्राम धामनोद तहसील धरमपुरी जिला धार। —— प्रार्थीगण

विरूद्ध

1— नगीनचंद पिता हुकुमचंद जैन
निवासी– ग्राम धामनोद, तहसील धरमपुरी जिला धार।
हाल मुकाम– बी–45, चंद्रनगर ए.बी.रोड इंदौर
2— रमेश पिता मांगीलाल,
3— विनोद पिता मांगीलाल,
4— गणेश पिता मांगीलाल
निवासीगण– ग्राम धामनोद, तहसील धरमपुरी जिला धार। —— प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू–राजस्व संहिता 1959

श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी धरमपुरी जिला धार द्वारा प्रकरण कमांक 09/अपील/12–13 में दिनांक 24–12–13 को पारित प्रोसिडिंग आदेश से असन्तुट होकर प्रार्थी यह निगरानी निम्नलिखित कारणों से प्रस्तुत करता है :–

प्रकरण के तथ्यः–

1— ग्राम धामनोद की भूमि सर्वे क्रमांक 608/1 रकबा 3.719 की वर्ष 1968 से उक्त भूमि पर आधिपत्य होने के कारण प्रार्थी परमानंद पिता मांगीलाल, रमेश पिता मांगीलाल, विनोद पिता मांगीलाल, गणेश पिता मांगीलाल निवासी– धामनोद के द्वारा श्रीमान् तहसीलदार महोदय धरमपुरी के समक्ष खसरा के कालम न. 12 में कब्जा दर्ज करने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया।

2— तहसीलदार के द्वारा प्रकरण क्रमांक 18/अ–6–अ/11–12 पर प्रकरण दर्ज कर विधिवत विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया, नियत समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई, प्रकरण में प्रतिप्रार्थी को सूचना पत्र जारी किये के उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण प्रतिप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

3— प्रकरण में तहसीलदार के द्वारा मौका कब्जा रिपोर्ट राजस्व निरीक्षक से प्राप्त की गई, जिसके अनुसार मौके पर प्रार्थी का वर्ष 1968 से कब्जा तथा मौके पर प्रार्थी व प्रतिप्रार्थी क्रमांक 2 से 4 ही उक्त भूमि पर काश्त करते होना अंकित किया गया है, प्रार्थी एवं प्रतिप्रार्थी क्रमांक 2 से 4 के द्वारा उक्त भूमि का उपयोग व उपभोग करते होना मौके पर उपस्थित पंचगणों के द्वारा बताया गया। उक्त भूमि प्रतिप्रार्थी के नाम पर अकिंत होना दर्शित किया। उक्त आधार पर तहसीलदार के द्वारा प्रकरण में विधिवत साक्ष्य उपरांत दिनांक 23/07/2012 को पारित आदेश के आधार पर प्रार्थी तथा प्रतिप्रार्थी क्रमांक 2 से 4 का आधिपत्य उक्त भूमि के राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने का आदेश दिया गया।

4— तहसीलदार धरमपुरी के द्वारा दिनांक 23/7/12 को पारित आदेश के विरूद्ध प्रतिप्रार्थी क्रमांक 1 के द्वारा एक अपील श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी धरमपुरी तहसील धार के समक्ष अवधि बाहय अपील प्रस्तुत की गई। जो अपील

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 61-दो/2014 जिला धार

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-02-19	आवेदकपक्ष अधिवक्ता श्री पी0जी0पाठक उपस्थित। आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभयपक्ष दिनांक 20-5-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । अध्यक्ष	